न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 35 / 2023

अनवान : –

1. बेलीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. हीरा पत्नी बेलीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. प्रभुराम पुत्र श्रवणराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. कुरड़ाराम पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 16/6/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 ता 4 की खरीद शुदा खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 53 / 53 की 80 हिस्सा अर्थात् 4 बीघा भूमि टिकमदास पुत्र मेघूमल जाति सिन्धी से दिनांक 28.10.1980 को प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 ता 4 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की थी।

उक्त बैयनामा दिनांक 28.10.1980 का नामान्तरण संख्या 103 दिनांक 23.09.1981 को तस्दीक किया गया। टीकमदास द्वारा रामप्रताप वगैरह को भी 260 हिस्सा विक्रय कर बैयनामा करवाया गया था इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का 80 हिस्सा, रामप्रताप वगैरह का 260 हिस्सा व शेष हिस्सा 4 हिस्सा टीकमदास के नाम से नामान्तरण संख्या 103 दिनांक 23.09.1981 को दर्ज हुआ व जमाबंदी में भी इंतकाल संख्या 103 का नोट लगाया गया किन्तु अब वर्तमान जमाबंदी तैयार की गयी तों टीकमदास का 4 हिस्सा की बजाय 84 हिस्सा दर्ज कर दिया गया व प्रार्थी व अप्रार्थी का नाम सहवन से कमलमजन कर दिया गया जिसकी वजह से प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती मुताबिक चक 7 जीजीएम के इन्तकाल संख्या 103 [illegible] 23.09.[illegible] [illegible]ुसार करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] कि प्रार्थी का हिस्सा उसके नाम दर्ज कर देवे परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो [illegible]जकल करते रहे अंत[illegible]कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी स0 2 ता 4 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, नकल पर्चा खतौनी 7 जीजीएम सम्वत 2048 बहक टीकमदास, नकल पर्चा खतौनी ग्राम 7 जीजीएम सम्वत 2052 बहक टीकमदास, नकल नामान्तरण संख्या 103 रोही मौजा 7 जीजीएम, चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 28.10.1980 पेश किये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 ता 4 की खरीद शुदा खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 53/53 की 80 हिस्सा अर्थात 4 बीघा भूमि टिकमदास पुत्र मेघूमल जाति सिन्धी से दिनांक 28.10.1980 को प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 ता 4 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की थी। उक्त बैयनामा दिनांक 28.10.1980 का नामान्तरण संख्या 103 दिनांक 23.09.1981 को तस्दीक किया गया। टीकमदास द्वारा रामप्रताप वगैरह को भी 260 हिस्सा विक्रय कर बैयनामा करवाया गया था इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 का 80 हिस्सा, रामप्रताप वगैरह का 260 हिस्सा व शेष हिस्सा 4 हिस्सा टीकमदास के नाम से नामान्तरण संख्या 103 दिनांक 23.09.1981 को दर्ज हुआ व जमाबंदी में भी इंतकाल संख्या 103 का नोट लगाया गया किन्तु अब वर्तमान जमाबंदी तैयार की गयी तो टीकमदास का 4 हिस्सा की बजाय 84 हिस्सा दर्ज कर दिया गया व प्रार्थी व अप्रार्थी का नाम सहवन से कमलमजन कर दिया गया जिसकी वजह से प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिए राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती मुताबिक चक 7 जीजीएम के इन्तकाल संख्या 103 दिनांक 23.09.1981 के अनुसार करवा पाने के अधिकारी है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 53/53 की कुल 18.7220 हैक्ट भूमि में से 2533/46805 हिस्सा भूमि टीकमदास के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की चित्रप्रति के मुताबिक प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 ता 4 की खरीद शुदा खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 53/53 की 80 हिस्सा अर्थात 4 बीघा भूमि टिकमदास पुत्र मेघूमल जाति सिन्धी से दिनांक 28.10.1980 को खरीद की गई है। नामान्तरण संख्या 103 दिनांक 23.09.1981 के अवलोकन से प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 त[illegible] क[illegible]0 हिस्सा, रामप्रताप वगैरह का 260 हिस्सा व शेष हिस्सा 4 हिस्सा टीकम[illegible] हुआ है लेकिन वर्तमान जमाबंदी में टीकमदास के नाम 84 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी ने रोही [illegible]जा 7 जीजीएम के इन्तकाल संख्या 103

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दिनांक 23.09.1981 के अनुसार दर्ज करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 53/53 की कुल 18.7220 हैक्ट भूमि में से 2533/46805 हिस्सा को दुरूस्त कर 80 हिस्सा अर्थात 4 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम तथा टीकदास का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोन्तानुसार अमल दरामद हो। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:34:20 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
क्रमांक : रीडर/सशोधन/2025/761 दिनांक : 19/06/25
तहसीलदार,
नोहर।

विषय :— प्रकरण स0 35/2023 अनवानी बेलीराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या — 35/2023
अनवान : —

1. बेलीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
2. हीरा पत्नी बेलीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. प्रभुराम पुत्र श्रवणराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. कुरड़ाराम पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 53/53 की कुल 18.7220 हैक्ट भूमि में से 2533/46805 हिस्सा को दुरूस्त कर 80 हिस्सा अर्थात 4 बीघा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज की जाती है व टीकमदास का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 17:34:20 IST
Reason: SelfAttested